

राजस्थान सरकार

राजस्व ग्रुप-6 विभाग

क्रमांक: 68/168 राज-6/99/9

दिनांक 16/6/03

समस्त कलेक्टर,

राजस्थान ।


परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र 68/168 राज-6/99/7 दिनांक 16-6-2003 जिसमें अंगोर भूमि का निर्माण कार्य हेतु आवंटन नहीं किए जाने तथा अंगोर भूमि को फुल छोड़ने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में निर्देशानुसार अंगोर भूमि के साथ ही जोड़ड़, गड्ढा, तालाब, नाडी आदि एवं अन्य जल संग्रहण कार्यों हेतु उपयोग आने वाली भूमि तथा जल गृहण कार्यों के जो जल प्रवाह क्षेत्र है जैसे जोड़ड़, झरना आदि भूमि का भी भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु आवंटन नहीं किया जावे तथा उन्हें फुल छोड़ा जावे।

  
उप सहायक सचिव

प्रतिलिपि:-


1. विभिन्न सहायक, उप मुख्य मंत्री राजस्व
2. समस्त उप सचिव, राजस्व विभाग ।

  
उप सहायक सचिव



प्रतिनिधि:- निम्न की सूची एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, उप मुख्य मंत्री जी
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
4. निदेशक, स्थायी विकास विभाग, जयपुर
5. समस्त उप शासन सचिव राजस्व विभाग

  
उप शासन सचिव